

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 08.11.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गण 1. मनोज सिंह पुत्र वीरेन्द्र उर्फ मुन्ना निवासी रेउरी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष 2. राकेश उर्फ ठाकुर पुत्र अज्ञात निवासी देविनपुरवा थाना सचेण्डी कानपुर नगर (भाग हुआ) द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना तथा अभियुक्त मनोज सिंह के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 524/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109 बीएनएस 2023 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. साजिद पुत्र शहीद निवासी ग्राम पिण्डार्थू थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 2. प्रशान्त कटियार पुत्र कौशल किशोर कटियार निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 3. राजेश दोहरे पुत्र विश्वनाथ दोहरे निवासी ग्राम आलमपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के पास से नकली टाटा मोटर्स DEF की 20 लीटर की भरी हुयी 14 अदद बाल्टियां व DEF की 10 लीटर की भरी हुयी 9 अदद बाल्टियां बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 220/24 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना राजपुर पुलिस द्वारा एनसीआर नं0 131/24 धारा 115(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी जरी थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- ❖ थाना राजपुर पुलिस द्वारा एनसीआर नं0 132/24 धारा 115(2) 352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त जयपाल पुत्र स्व0 रामाधार निवासी जरी थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।